

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 395]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 24 सितम्बर 2016—आश्विन 2, शक 1938

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर 2016

क्र. एफ 2(क)-9-2016-बी-3-दो.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1973 का संख्या 2) की धारा 2 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित स्थानों को मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का संख्या 59) के अधीन अपराध के प्रयोजनों के लिए, उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में दर्शित स्थानीय क्षेत्रों के लिए यातायात पुलिस थाने के रूप में घोषित करता है, अर्थात् :-

अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	स्थानों के नाम (2)	अधिकारिता के स्थानीय क्षेत्र (3)
1	अलीराजपुर	अलीराजपुर जिले का सम्पूर्ण क्षेत्र
2	सिंगरौली	सिंगरौली जिले का सम्पूर्ण क्षेत्र
3	आगर-मालवा	आगर-मालवा जिले का सम्पूर्ण क्षेत्र

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लक्ष्मीकान्त द्विवेदी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर 2016

क्र. एफ 2(क)-9-2016-बी-3-दो.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड 3 के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 2(क)-9-2016-बी-3-दो, दिनांक 24 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लक्ष्मीकान्त द्विवेदी, उपसचिव.

Bhopal, the 24th September 2016

No. F-2(k)-9-16-B-3-Two.—In exercise of the powers conferred by clause (S) of Section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1973), the State Government hereby notifies places shown in column (2) of the Schedule as Traffic Police Stations for the local areas shown in column (3) of the said Schedule for the purposes of offence under the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988), namely :—

SCHEDULE

S. No. (1)	Name of places (2)	Local Area of Jurisdiction (3)
1	Alirajpur	Whole Area of District Alirajpur
2	Singrauli	Whole Area of District Singrauli
3	Agar-Malwa	Whole Area of District Agar-Malwa

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
LAXMIKANT DWIVEDI, Dy. Secy.